नई दिल्ली के सरकारी प्रेस में व्यवसाय प्रशिक्षु

8775. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सरकारी प्रेस के लिये व्यवसाय प्रशिक्षुओं की भर्ती के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले 4 अथवा 5 वर्षों के दौरान आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे और कर्मचारियों द्वारा विरोध किये जाने पर यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में प्रशिक्षुओं को नियुक्ति नहीं की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). अपरेंटिसीज एक्ट, 1961 के लागू होने से पूर्व मुद्रणालयों में व्यवसाय प्रशिक्षुओं की एक विभागीय योजना थी । योजना के अनुसार 1963 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते थे तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था । कर्मचारियों को ऐसा में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि भविष्य में प्रशिक्षुओं को कोई नियुक्ति नहीं दी जायेगी ।

अब जो आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं वे एपरेंटिसजि एक्ट 1961 के उपबन्धों के अनुसार है, जो कि भारत सरकार मुद्रणालय में सितम्बर, 1966 से लागू हो गया है ।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के प्रेस में प्रशिक्षण प्रशिक्षु

8776. **श्री ब्रह्मानन्द जी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के प्रेस में काम न करने वाले व्यक्तियों को नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के प्रेस में भर्ती किये गये शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नये भर्ती किये गये शिक्षुओं को प्रेस के पुराने कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद इन शिक्षुओं की नियुक्ति पुराने कर्मचारियों से ऊंचे पदों पर की गई है ;

(घ) यदि हां, तो पुराने कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं । विभागीय प्रशिक्षु योजना (डिपार्टमेंटल एपरिन्टसेज स्कीम) के अन्तर्गत जिसे कि 1963-64 में स्थगित कर दिया गया था, प्रशिक्षुओं को विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था । इंडियन एपरेंटिसेज एक्ट, 1961 के अन्तर्गत नयी योजना जो कि 1966 में मुद्रण उद्योग के लिये भी बढ़ा दी गयी है, भारत सरकार के मुद्रणालयों में अभी तक लागू नहीं की गई है ।

(ग) जी, नहीं । प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की कोई गारन्टी नहीं दी गयी थी ।

किन्तु जहां कहीं सम्भव हो, उन्हें सीधी भर्ती के कोटे में भर्ती किया जा सकता था।

(ग) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Pay of Junior Technical Assistants, Assistants and Stenographers

8777. Shri J. Sundar Lal: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pay of Junior Technical Assistants, Assistants and Stenographers starts from Rs. 210 p.m., but there is a difference in their scales of pay;

(b) if so, the details of the pay scales and the reasons for the difference; and

(c) whether there is any proposal under consideration of Government to remove this anomaly and bring the pay scales of the Junior Technical Assistants and Stenographers to the level of office Assistants?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Technical Assistants:

Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.

Assistants and Stenographers in the Central Secretariat:

Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Stenographers outside the Central Secretariat Stenographers Service:

Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425; and Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300. The pay scales are as recommended by the Second Pay Commission, with slight modifications. Even previously, there were different pay scales.

(c) No, Sir, as there is no anomaly.

Raw Coke

8778. Shri Shashi Ranjan:
Shri C. K. Bhattacharyya:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of raw coke produced at Barauni from its inception till June, 1967, year-wise;

(b) the quantity sold therefrom and rates at which sold;

(c) whether any quantity of raw coke has been exported and if so, the quantity exported and the rate at which exported; and

(d) the quantity of raw coke in stock at present and the quantity likely to be produced during the period from July to December, 1967?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri K. Raghu Ramaiah): (a) The coke produced year-wise is as follows:

1964	.. 4485	M. Tonnes
1965	.. 28918	,,
1966	.. 38959	,,
January to June, 1967	22593	,,

(b) The quantity of coke sold year-wise is as follows:

1964	.. 320	M. Tonnes
1965	.. 2843	,,
1966	.. 24500	,,
January to June, 1967	35451	,,

The rates realised on these dates vary from consignment to consignment and from year to year. During October, 1964 to September, 1965, the prices realised FOR Barauni exclusive of